न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 185/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 रूपाराम पुत्र गोधनराम 2 दलाराम 3 मलाराम 4 गजाराम 5 देवाराम पिसरान रूपाराम जाति जाट निवासी खेमावास (शिवकर) तहसील व जिला बाडमेर।		1 कोहलाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी खेमावास (शिवकर) तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व विविध आवेदन वास्ते प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन बाबत्

उपस्थिति :– 1 श्री करनाराम चौधरी, वकील प्रार्थी।

2 श्री सुनिल मेराजा, वकील अप्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 23/07/21

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कौशलाराम द्वारा एक ओवदन इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मौजा खेमावास (शिवकर) के खसरा संख्या 760/688 रकबा 30.00 बीघा एवं खसरा संख्या 687 रकबा 0.04 बीघा कुल रकबा 30.04 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई है। उक्त भूमि में आने–जाने हेतु उसके लगते हुए खेत खसरा संख्या 761/688 में से जाना पडता है। उक्त आने–जाने हेतु रास्ते को अभिलेख में अंकित करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त रास्ते की मौका रिपोर्ट तहसीलदार बाडमेर से तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौके पर नही जाकर अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से मौके की रिपोर्ट तैयार करवाई गई, जिस पर मात्र प्रतिहस्ताक्षर कर इस न्यायालय को भिजवाई गई है, जो त्रुटीपूर्ण है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन के संलग्न परिशिष्ठ 'क' में दर्शाय लाल रंग से जो रास्ता चाहा था उसे नही दिया जाकर नया रास्ता सृजित किया गया, जो त्रुटी पूर्ण है। पुराने रास्ते का रकबा 00.05 बीघा था जबकि तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित रास्ते का रकबा 00.13 बीघा है, जो अधिक है। लिहाजा पुनर्विलोपन आवेदन स्वीकार कर उक्त त्रुटी का सुधार किया जावें।

वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि उसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अन्तर्गत रास्ता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे दर्ज कर अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट तलब कर उभय पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित किया गया है। उक्त विधिपूर्वक पारित निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटी नही है। प्रार्थी उक्त निर्णय से असंतुष्ट है तो उसे अपील करने का अधिकार है। अन्तिम रूप से पारित इस आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन का कोई न्यायिक आधार नही होने से आवेदन खारिज योग्य है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं मूल आवेदन पत्र में प्राप्त तहसीलदार बाड़मेर की मौका रिपोर्ट एवं नक्शे का भी अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा

संख्या 760/688 में जाने हेतु ग्रेवल सड़क से खसरा संख्या 761/688 में से होकर न्यूनतम दूरी का मार्ग चाहा गया था। प्रार्थी द्वारा आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शे में जो मार्ग चाहा गया है उसकी दूरी अधिक है व धोरा होने से वाहन आदि का आवागमन संभव नही है। उसके द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है वो न्यूनतम दूरी का है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश पारित किया जा चुका है। उक्त आदेश पर प्रार्थी द्वारा निर्धारित राशि जमा करवाने पर राजस्व अभिलेख में उस रास्ते का अंकन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश को पुनर्विलोकन करने का कोई विधि सम्मत आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। प्रार्थी (अप्रार्थी) अन्तिम रूप से पारित इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वंतत्र है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोपन आवेदन खारिज किया जाता है।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 23.07.12 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर